न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 20.10.2021

मस्तराम पुत्र भवंरलाल जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवली दिनांक 06.10.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 28.10.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2503 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सावतगढ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। पटवारी हल्का द्वारा वांछित रिपोर्ट एक तरफा मे तैयार की गई है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिकमी नही हैं।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वंय द्वारा मौका देखा गया है। अपीलांट का [illegible] कब्जा नही है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र अपील मीमो के साथ [illegible] किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्ण[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.12.02 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2503 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सावतगढ तहसील देवली पर लोहे की रेलिंग,लोहे का गेट व बाड लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2021 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार देवली यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार देवली हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.12.02 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

28.10.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर